

मध्यप्रदेश विधान सभा

फरवरी-मार्च, 1999 सत्र

विनिक बगर्य सूची

मंगलवार, दिनांक 23 मार्च, 1999 (बैत्र 2, 1921)

समय 10.30 बजे बिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री अजय सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री, मध्यप्रदेश पंचायत राज्य अधिनियम, 1993 (क्रमांक 1 सन् 1994) की धारा 95 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनाये -

- (क) क्रमांक एफ 1-11-98-बाईस-प-2, दिनांक 23 दिसम्बर, 1998,
(ख) क्रमांक एफ 1-21-98-बाईस-प-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
(ग) क्रमांक एफ 1-6-८-98-बाईस-प-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
(घ) क्रमांक एफ 1-29-98-बाईस-प-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
(ड.) क्रमांक एफ 1-16-98-बाईस-प-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
(च) क्रमांक एफ 1-20-98-बाईस-प-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
(छ) क्रमांक एफ 1-18-98-बाईस-प-2, दिनांक 4 जनवरी, 1999,
(ज) क्रमांक एफ 1-26-98-बाईस-प-2, दिनांक 11 जनवरी, 1999,
(झ) क्रमांक एफ 1-5-८-98-बाईस-प-2, दिनांक 11 जनवरी, 1999,
(ज) क्रमांक बी-1-43-95-बाईस-प-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
(ट) क्रमांक बी-1-39-95-बाईस-प-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
(ठ) क्रमांक बी-1-21-(1) (95)-बाईस-प-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
(ड) क्रमांक बी-1-41-95-बाईस-प-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
(द) क्रमांक बी-1-40-95-बाईस-प-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
(ण) क्रमांक बी-1-11-95-बाईस-प-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
(त) क्रमांक बी-1-44-95-बाईस-प-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
(थ) क्रमांक बी-1-20-95-बाईस-प-2, शुद्धि पत्र दिनांक 15 सितम्बर, 1998,
(द) क्रमांक एफ-1-40-95-बाईस-प-2, दिनांक 17 फरवरी, 1999,
(ध) क्रमांक एफ 1-40-95-बाईस-प-2, दिनांक 5 मार्च, 1999,
(न) क्रमांक एफ-1-44-95-बाईस-प-2, दिनांक 5 मार्च, 1999,
(प) क्रमांक एफ-1-33-98-बाईस-प-2, दिनांक 17 फरवरी, 1999,
(फ) क्रमांक एफ-1-40-95-बाईस-प-2, शुद्धि पत्र दिनांक 11 मार्च, 1999,
(ब) क्रमांक एफ-1-44-95-बाईस-प-2, शुद्धि पत्र दिनांक 11 मार्च, 1999,
(भ) क्रमांक एफ-1-32-98-बाईस-प-2, दिनांक 30 जनवरी, 1999, तथा
(म) क्रमांक एफ-1-27-98-बाईस-प-2, दिनांक 28 जनवरी, 1999,
- पटल पर रखेंगे।

(2) श्री धनेश पटिला, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग के प्रथम प्रतिवेदन वर्ष 1996-97 की अनुशासनाओं पर पालन प्रतिवेदन पटल पर रखेंगे।

(3) श्री नरेन्द्र कुमार नाहटा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, कम्पनीज एकट, 1956 की धारा 613-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम भोपाल का 36 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री महेन्द्र बौद्ध, स्कूल शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम विनियम, 1974 के नियम 48 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश पाठ्यपुस्तक निगम का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के आधीन ध्यान आकर्षण

(1) सर्वश्री राजेन्द्र प्रसाद शुक्ल, ब्रजमोहन अग्रवाल, विधान मिश्रा, सदस्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में पदस्थ रहे जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को लम्बे समय से निलम्बित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री स्वामी प्रसाद लोधी, रामकपाल अहिरवार, सदस्य, छतरपुर जिले के अनेक गांवों में डकैतों का आतंक होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(3) श्री सर्वेन्द्र अहमद, सदस्य, सतना जिले के मैहर रिश्त गांव शारदा पहाड़ी का कटाव होने की ओर धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) श्री राजेन्द्र भारती (दत्तिया), सदस्य, ग्वालियर शुगर फैक्टरी द्वारा कृषकों को गन्धी का भुगतान न किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

४. याचिकामउं ही प्रस्तुति

(1) श्री धरम्म राय, सदस्य, सागर जिले के -

- (क) मालधोन कस्बे में महाविद्यालय खोले जाने; तथा
- (ख) खुरई नगर में बायपास रोड बनाये जाने,

(2) श्री रणबीर सिंह रावत, सदस्य, शिवपुरी जिले के -

- (क) ग्राम खुंदावली में हायर सेकेन्डरी स्कूल खोले जाने;
- (ख) ग्राम धेदरा से बिलहारी तक सड़क बनाये जाने;
- (ग) ग्राम खुंदावली में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, तथा
- (घ) ग्राम नरवर में उप-कोषालय खोले जाने,

(3) श्री मानवेन्द्र सिंह, सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम कुरा में -

- (क) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने ; तथा
- (ख) पेयजल व्यवस्था कराये जाने,

(4) श्री रमाकान्त तिवारी, सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कोलौरा स्थित तालाब का पट्टा निरस्त कराये जाने,

(5) श्री प्रेमसिंह सिवार, सदस्य, रायगढ़ जिले के ग्राम लिबरा में अस्पताल भवन बनाये जाने, एवं

(6) श्री कमल पटेल, सदस्य, होशंगाबाद जिले के ग्राम बावड़िया भाऊ स्थित हाई स्कूल से मुख्य मार्ग तक पक्की सड़क बनाये जाने,

के संबंध में याचिकामये प्रस्तुत करेंगे.

५. बहुव्य

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, दिनांक 15 फरवरी, 1999 को पूछे गये अताराकित प्रश्न संख्या 56 (क्रमांक 2208) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य देंगे।

(2) डॉ. प्रेमसाय सिंह, राजस्व मंत्री, नेशनल केलेमिटी रिलीफ कमेटी द्वारा स्वीकृत सहायता के संबंध में वक्तव्य देंगे।

६. शासकीय विधि विषयक बार्य

(1) श्री कृष्ण कुमार गुप्ता, उच्च शिक्षा मंत्री, मध्यप्रदेश विधिविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 13 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(2) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 15 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(3) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वृत्ति कर (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 16 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(4) श्री सत्यनारायण शर्मा, वाणिज्यिक कर मंत्री, मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 17 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(5) श्री सच्जन सिंह वर्मा, नगरीय पश्चासन एवं विकास मंत्री, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 (क्रमांक 18 सन् 1999) के पुरस्थापन की अनुमति का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुरस्थापित करेंगे।

(6) श्री अजय मुशरान, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 1999 (क्रमांक 7 सन् 1999) पर विचार किया जाय।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय।

भोपाल :

दिनांक : 22 मार्च, 1999

के.पी. तिवारी

सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.